Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 22-02-2006

Participants : Thummar Shri Virjibhai

an>

Title : Need to charge reduced rate of interest on the loans availed by the farmers from cooperative banks in Amreli Parliamentary Constituency, Gujarat.

श्री वी.के. दुम्मर उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में सहकारी बैंकों द्वारा शॉर्ट टर्म फाइनेन्स एवं के.सी.सी. के तहत किसानों को 11 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यह 11 प्रतिशत ब्याज दर केवल मेरे संसदीय क्षेत्र में ही लागू है जबकि सरकारी अनुसूचित बैंकों द्वारा 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और गुजरात के अन्य जिलों में भी सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है जो किसानों के हित में नहीं है। एक तरफ किसानों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं दिए जाने की घोाण की जा रही है और दूसरी ओर मेरे गृह जिले में किसानों से अत्यंत ऊंची ब्याज दर ली जा रही है। मेरी जानकारी में आया है कि यह ऊंची दर पर ब्याज जो सहकारी बैंकों द्वारा लिया जा रहा है, उसमें नाबार्ड की सहमति भी है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में जो सहकारी बैंकों द्वारा ज्यादा ब्याज दर ली जा रही है, इसे अन्य जिलों के सहकारी बैंकों की ब्याज दर 7 प्रतिशत की तरह लागू किया जाए और जो ब्याज दर अब तक ली गई है, उसे किसानों को वापिस किया जाए। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो नाबार्ड एवं स्टेट कोआपरेटिव बैंकों द्वारा अमरेली के किसानों को सीधे ऋण उपलब्ध करवाया जाए और उन्में केवल अन्य जिलों की तरह 9 प्रतिशत की ब्याज दर वसूल की जाए।